

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र. 2176/2769/2011/26-2

दिनांक 20-12-2011

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त आयुक्त
नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषय: राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) प्रदान करना के संबंध में।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 7.5

- 1.1 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो तथा जिसकी कमाई से अधिकांशतः परिवार का गुजारा चलता हो, की प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर रु. 10,000/- की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।
- 1.2 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
- 1.3 **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS)**
पात्रता के मापदण्ड-
 - मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
 - मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
 - मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- 1.4 **सहायता राशि**
 - एकमुश्त राशि रु. 10,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करना।

1.5 आवश्यक दस्तावेज

1. आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक
 - स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची
 - जन्म प्रमाणपत्र
 - मतदाता सूची
 - मतदाता फोटो परिचयपत्र (EPIC)
2. मृत्यु का प्रमाणपत्र।
3. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में प्राथमिकी।

1.6 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) स्वीकृत करने का अधिकार

- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व नगरीय क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी तदपश्चात् जनपद के साधारण सभा की बैठक तथा नगरीय क्षेत्र में निगम/परिषद की बैठक होने पर स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये प्रकरणों की सूची सहित जानकारी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) स्वीकृत करने की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र –

- आवेदक द्वारा इस सेवा हेतु आवेदन पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- आवेदन पर ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- प्रचलित प्रक्रिया अनुसार यदि इस सेवा के आवेदन पंचायत सचिव समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाते हैं तो पंचायत द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा। ऐसे प्रकरणों में समय-सीमा आवेदन के पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने दिनांक से लागू होगी।
- इस सेवा के लिए समय-सीमा 30 कार्य दिवस होगी।

नगरीय क्षेत्र

- आवेदन पदाभिहित अधिकारी के रूप में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जावेगा, उसकी तत्काल पावती संबंधित द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पर किसी अधीनस्थ से आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) की पात्रता होने की स्थिति में राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।
- इस सेवा के लिए समय-सीमा 30 कार्य दिवस होगी।

- 1.8 आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

- 1.9 अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-6 में निर्धारित पंजी का संधारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट-3)
- 2.0 आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
- 2.1 इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए कलेक्टर होंगे। इस सेवा के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए कलेक्टर तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए संभागायुक्त होंगे।
- 2.2 प्रथम अपील के निराकरण की समय-सीमा 30 कार्य दिवस होगी।

उप सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय विभाग


प्रतिलिपि :-

पृ.क्र.

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

उप सचिव

प्रारूप 1
(भाग - एक)
राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु आवेदन पत्र



1. आवेदक का नाम पिता/पति.....
2. वर्ग अजजा/अजा/अपिवर्ग/सामान्य
3. आवेदक का पूर्ण पता
.....
4. मृतक का नाम
5. आवेदक का मृतक से रिश्ता
6. मृतक की आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
(स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता फोटो परिचय पत्र, मृत्यु का प्रमाण)
मृत्यु पूर्व मृतक की वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र के लिए)
.....
7. गरीबी रेखा की सर्वे सूची का का अनुक्रमांक (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लिए)
8. मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी

क्रमांक	ग्राम	संबंध	आयु	व्यवसाय	वार्षिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
	योग				

9. मृत्यु का दिनांक
(मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. मृत्यु का कारण (प्राकृतिक/अप्राकृतिक)
.....
11. मृत्यु का स्थान
12. दुर्घटनावश हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हां तो पुलिस थाने का नाम एवं एफ0आई0आर0 (प्राथमिक रिपोर्ट)
.....

टीप:- आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं।

स्थान

आवेदक का नाम व

हस्ताक्षर

दिनांक

प्रारूप 1
(भाग – दो)

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्दीक/जांच

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति..... आयु
निवासीग्राम/नगरीय वार्ड क्रमांक
की मृत्यु दिनांक कोकारणों से
हुई।

2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्वे सूची क्रमांक पर अंकित है या
मेरे द्वारा स्वयं की गई जांच के आधार पर प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि समस्त स्रोतों से मृतक के परिवार की वार्षिक आय लगभग रुपये प्रतिवर्ष थी । अतः उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था ।
3. स्वर्गीय श्री/श्रीमती/सुश्री
की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से दुर्घटनावश हुई है तथा इस संबंध में पुलिस थाना
में प्रकरण क्रमांक दर्ज हुआ है ।
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत नियमानुसार सहायता राशि रुपये
.....
श्री/श्रीमती/सुश्री
.....
जो कि मृतक का/की है (संबंध बतायें) को दिये जाने की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि अब वे ही परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार की देखरेख व पालन पोषण करेंगे/करेंगी ।

दिनांक

हस्ताक्षर
सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत
नगर निकाय के संबंधित
वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी
के
हस्ताक्षर तथा सील

प्रारूप-1
(भाग-तीन)

**नियम 3 (3) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषित की जाने वाली
अनुशंसा टीप**

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति..... निवासी
की मृत्यु प्राकृतिक/आप्राकृतिक रूप से हुई है । मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे
जीवन यापन करने वाला परिवार है तथा मृतक के परिवार का मुखिया श्री/श्रीमती/सुश्री ...
..... को राष्ट्रीय परिवार सहायता की राशि रुपये
प्रदाय की जाने की अनुशंसा की जाती है/कारण से अनुशंसा नहीं की
जाती है ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

सरपंच, ग्राम पंचायत

पदमुद्रा

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

- पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता — _____

1. आवेदक का नाम एवं पता — _____

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक — _____
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है — _____
- उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं — _____

4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख — _____

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)